भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2930
सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

कृषि और पर्यटन में रोजगार के अवसर

2930. श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री जुगल किशोर शर्माः
श्रीमती गीता कोडाः
श्रीमती रीती पाठकः
श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि और पर्यटन आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में कृषि और पर्यटन आधारित उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रोजगार की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे; और

(च) बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति के लिए सहायता प्रदान करती है तथा उसको सुगम बनाती है। समस्त योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने एवं कृषि आधारित रोजगार के संवर्द्धन द्वारा उनके आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु लक्षित हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबंद्ध क्षेत्र के कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत नवाचार और कृषि-उद्यमिता घटक नामक एक नया घटक आरंभ किया है। सरकार लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) योजना के माध्यम से कृषि-आधारित व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को घटक योजनाओं, - (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना; (iii) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार; (iv) कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए आधारभूत संरचना; (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण; (vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (vii) मानव संसाधन और संस्थान; (viii) ऑपरेशन हरित के साथ क्रियान्वित किया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक अंग के रूप में, एमओएफपीआई ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना, "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का पीएम औपचारिककरण योजना " शुरू की है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर कृषि उद्योगों में कामगारों का राज्य वार प्रतिशत वितरण (एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग) अनुबंध में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने की दृष्टि से स्वदेश दर्शन योजना, तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत पर राष्ट्रीय मिशन, पहचान किए गए तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के लिए विरासत संवर्धन योजना (पीआरएएसएचएडी), विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए विरासत परियोजना और अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा कार्यक्रम, आदि।

पर्यटन पर आधारित उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि, तीसरे पर्यटन सैटलाइट विवरण (टीएसए) के अनुपालन में, अनुमानित रूप से (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 और पीएलएफएस रिपोर्ट का उपयोग करके) बाद के वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए , देश के कुल रोजगार में पर्यटन रोजगार का योगदान क्रमशः 14.78%, 14.87% और 15.34% था।

(ग) से (ङ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई है:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)	46.8	47.3	50.9
बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)	6.0	5.8	4.8

सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल भारतीय संस्थान आधारित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। जुलाई से सितंबर 2021 की अवधि हेतु त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के दूसरे दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.10 करोड़ हो गया जो कि क्यूईएस के प्रथम दौर (अप्रैल-जून, 2021) में 3.08 करोड़ था।

(च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 21.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2930 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति आधार पर कृषि उद्योगों (वानिकी और मत्स्य पालन सहित) में कामगारों का प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	49.8	44.4	49.0
2	अरुणाचल प्रदेश	50.1	46.7	55.0
3	असम	45.5	38.9	36.8
4	बिहार	45.1	48.9	49.2
5	छत्तीसगढ	67.5	64.7	68.8
6	दिल्ली	1.2	0.4	0.4
7	गोवा	8.5	8.1	15.3
8	गुजरात	42.4	42.8	46.2
9	हरियाणा	27.4	26.9	29.2
10	हिमाचल प्रदेश	55.6	56.6	56.4
11	झारखंड	46.8	42.8	54.1
12	कर्नाटक	45.7	41.0	46.6
13	केरल	19.9	20.4	21.9
14	मध्य प्रदेश	60.6	57.2	58.4
15	महाराष्ट्र	47.8	45.3	49.0
16	मणिपुर	36.4	29.2	32.4
17	मेघालय	56.3	49.6	51.9
18	मिजोरम	44.0	42.1	42.1
19	नागालैंड	36.8	36.5	48.5
20	ओड़िशा	48.8	44.1	48.3
21	पंजाब	26.0	24.6	25.8
22	राजस्थान	49.6	52.7	53.1
23	सिक्किम	41.5	41.6	39.3
24	तमिलनाडु	27.7	27.3	30.1
25	तेलंगाना	43.4	43.6	48.4
26	त्रिपुरा	29.1	31.1	41.6
27	उत्तराखंड	42.5	34.3	47.2
28	उत्तर प्रदेश	48.8	50.0	51.5
29	पश्चिम बंगाल	36.6	34.2	36.9
30	अंडमान और एन द्वीप समूह	15.5	11.2	15.3
31	चंडीगढ़	0.5	0.8	0.9
32	दादरा और नगर हवेली	19.8	19.1	27.7
33	दमन और दीव	2.5	4.1	14.2
34	जम्मू और कश्मीर	40.7	38.1	38.5
35	लद्दाख			41.7
36	लक्षद्वीप	25.7	28.8	17.7
37	पुड्डुचेरी	11.6	14.1	15.7
अखिल भारत		**44.1**	**42.5**	**45.6**

स्रोत: पीएलएफएस रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय